**112 कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी कभी–कभी कुछ बयान देते हैं जिससे सामान्य कीमत जानने पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और साथ ही, विनिवेश प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया किः

1. सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कोई भी कर्मचारी बयान नहीं देगा जब तक कि वह उसके लिए समुचित रूप से प्राधिकृत न हो।

2. बोर्ड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मंजूरी लेने के पश्चात ही प्राधिकृत अधिकारी संवेदनशील कीमत संबंधी सूचना/बयान देगा।

3. सार्वजनिक सूचना के लिए जारी करने से पहले संवेदनशील कीमत संबंधी सूचना/बयान खण्ड 36 के सूचीबद्ध समझौते के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को देगा।

4. संवेदनशील कीमत संबंधी सूचना/बयान सभी प्रकार के मीडिया को दिया जाएगा न कि मीडिया के कुछ चुनिंदा हिस्से को।

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपने प्रशासन–नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जानकारी में लाएं और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह मंत्री (एच आई और पी ई) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

**(लो.उ.वि. का तारीख 26 सितम्बर, 2003 का कार्यालय ज्ञापन सं. – लो.उ.वि./6(6)/2006 – वित्त)**